भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2047

उत्तर देने की तारीख: 05.08.2026

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मौतें

2047. प्रो. मनोज कुमार झा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जोखिमपूर्ण ढंग से हाथ से सफाई करने पर वैधानिक प्रतिबंध होने के बावजूद सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान लगातार हो रही मौतों के कारणों की जांच की है;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान ऐसी मौतों के संबंध में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, भारतीय दंड संहिता तथा अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें उत्तरदायी ठहराए गए व्यक्तियों, एजेंसियों और प्राधिकारियों, जिसमें ठेकेदार, नगर निगम, शहरी स्थानीय निकाय, सरकारी विभाग, निजी एजेंसियां, पर्यवेक्षक और जोखिमपूर्ण सफाई कार्य की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई के दौरान कुछ मौतें "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" तथा " हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013" एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत निर्धारित सुरक्षा सावधानियों का पालन न किए जाने के कारण हुई हैं।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार स्वच्छता राज्य का विषय है। कानून का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों, प्राधिकारियों आदि से संबंधित कोई भी डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, एनसीएसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 01.01.2021 से 30.06.2026 तक 193 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई है, जो संलग्नक में उपलब्ध है।

संलग्नक

सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई मौतों के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2047, जिसका उत्तर 05.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

01.01.2021 से 30.06.2026 तक संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की राज्य-वार संख्या निम्नवत है: -

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दर्ज एफआईआर
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	बिहार	-
3.	दादरा और नगर हवेली	3
4.	दिल्ली	25
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	8
7.	हरियाणा	35
8.	झारखंड	-
9.	कर्नाटक	4
10.	मध्य प्रदेश	7
11.	महाराष्ट्र	24
12.	ओडिशा	-
13.	पंजाब	9
14.	राजस्थान	20
15.	तमिलनाडु	21
16.	तेलंगाना	2
17.	उत्तर प्रदेश	18
18.	पश्चिम बंगाल	11
	कुल योग	**193**
